फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री कानसिंह पिता. डाऊसिंह चौहान निवासी समेलिया पोस्ट समेलिया तहसील भीम

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 45/2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 19.02.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम के द्वारा जरिये पत्रांकः—सू.अ./रीडर/2019/142—143 दिनांक 07.02.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पशुपालन विभाग/विकास अधिकारी पंचायत समिति भीम से संबधित है। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के बिन्दु संख्या 01 से 07 के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति भीम के पत्रांक पं.सं.भी/पंचा/सू.अ./2018/1872 दिनांक 23.01.2019 से अपीलार्थी को उसके डाक के पते पर सूचित किया जा चुका है।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्टानुसार चाही गई वांछित सूचना पशुपालन विभाग/विकास अधिकारी पंचायत समिति भीम से संबंधित होने से अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। साथ ही प्रार्थी अपीलार्थी को सूचित किया जाता है की पशुपालन विभाग व विकास अधिकारी पंचायत समिति भीम की प्रथम अपील सुनने का श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम व अपीलार्थी को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द